

प्रारूप-30

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
No---

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated-12/3/15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.60 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Work Department for in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Bartiyakot village (s) in Pithoragarh tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.60 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ① to ...annexure ⑤
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Sushil Kumar)

अधिकारी
पिथौरागढ़

प्रारूप-30.1

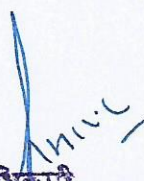
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT **Pithoragarh** (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pithoragarh** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated **12.03.15** at time **3:30**....at **8.m**... in which application claiming rights in 11.430 hect. area measuring **3.6** hect for the construction of **Kill To Bartiyakot motor road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bin (Pithoragarh)** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;Pithoragarh
Dated:..12.03.15


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, पिथौरागढ़

उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण ।, (.....शून्य..... हे० आरक्षित वन भूमि,3.6..... हे० सिविल एवं सोयम वन भूमिशून्य..... हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल3.6..... हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पिथौरागढ़) की दिनांक 10/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनुराग आर्य , उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री अनुराग आर्य	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री दीपक आर्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्री कुमारी जनिता	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण , परियोजना हेतु3.60..... हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु3.6..... हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
पिथौरागढ़
तहसील-पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)
जनपद-पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सदस्य क्षेत्र वन अधिकार
10-आख पन्त क्षेत्र
वि०७० मुनाकोट पिथो:००००
सदस्य क्षेत्र वन अधिकार
वि०७० मुनाकोट पिथो:००००

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पिथौरागढ़
जनपद-पिथौरागढ़
(उत्तराखण्ड)

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम बडालू
तहसील पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण, (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 3.60 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 6.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.60 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बडालू (किल्ल) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
मुहर सहित
वि०३० - मुगकोट
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

श्री १५५५५५५ श्री
सरपंच
वन पंचायत- बडालू
हो/सरपंच

श्री १५५५५५५ श्री
ग्राम पंचायत बडालू
ग्राम प्रधान
हो/ग्राम प्रधान
मुहर सहित

दिनांक 18.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बडालू

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	अमरनाथ चन्द	अमरनाथ चन्द
2-	सुनील सिंह	Sunil
3-	प्रमन चन्द	प्रमन चन्द
4-	भूपाल चन्द	भूपाल चन्द
5-	विक्रम बहादुर चन्द	Vikram Bahadur
6-	YATEMIAR CHAND	YATEMIAR CHAND
7-	राजेश चन्द	Rajesh
8-	बहादुर चन्द	Bahadur
9-	हरीश चन्द	Harish
10-	गोपाल सिंह	Gopal Singh
11-	मोहन चन्द	Mohan
12-	M. S. Jadhav	M. S. Jadhav
13-	Prakash Jadhav	Prakash Jadhav
14-	वार्ड 1 - सम्मानित सदस्य मुनी देवी	मुनी देवी
15-	वार्ड 3 - " - रविन्द्र प्रसाद	रविन्द्र प्रसाद
16-	वार्ड 4 - " - रेनु देवी	रेनु देवी
17-	वार्ड 5 - उप प्रधान गणेश प्रसाद	गणेश प्रसाद
18-	वार्ड 6 - सदस्य बबिता देवी	बबिता मेहता
19-	नवीन चन्द जोशी	Naveen Chandra Joshi
20-	राजेश सिंह	Rajesh
21-	महेन्द्र सिंह	Mahendra Singh
22-	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
23-	हेमा मेहता	हेमा मेहता
	अतिथि वरिष्ठ आदेशी	
	ग्राम पंचायत बडालू	
	मुख्य मंगल दल ग्राम सभा-बडालू	
	मुलाकोट, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)	



1295
27/3/05
10/4/05

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम (बर्तियाकोट) (आठपन)
तहसील पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण, (.. 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, ... 3.60 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ... 3.60 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 03/03/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है । * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बर्तियाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Signature]

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

अधिकारी

...जाखपन्त...

सिग्नचर :-

(सचिव)

ह०/-
सरपंच/

[Signature]

ह०/-
ग्राम प्रधान
मुहर सहित



AE II
कृपया आरक्षित
नहीं करे.

[Signature]

AAE D. G. G. G.

